कार्यालय नगर निगम कोटा, राजस्थान

राजीव गांधी भवन दशहरा मैदान सी.ए.डी. सर्किल कोटा

website - www.kotamc.org Email - nnkota@gmail.com Tel. pho.0744-2502142

आजादी का अमृत महोत्सव

DFA

क्रमांक : ननिको/डे–एनयूएलएम/2026/97-105 दिनांक : 25/06/26

स्थायी आश्रय स्थल संचालन हेतु इच्छा अभिरूचि प्रस्ताव

नगर निगम कोटा द्वारा स्थायी आश्रय स्थल संचालित किये जा रहे हैं। जिसकी सूची निम्नानुसार है :–

क्र.स.	स्थान का नाम	विवरण
1	नयापुरा बस स्टेण्ड आश्रय स्थल	स्थायी
2	एम.बी.एस. हॉस्पिटल परिसर आश्रय स्थल	स्थायी
3	सेक्टर नं0 2 भीमगंजमण्डी आश्रय स्थल	स्थायी
4	महिला जे.के.लोन परिसर स्थित आश्रय स्थल	स्थायी
5	कैथून मैन रोड आश्रय स्थल	स्थायी

आश्रय स्थल के सुचारू संचालन के लिए आश्रय स्थल में सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी, बिस्तर प्रबन्धन एवं अनुदानित दर पर भोजन व्यवस्था इत्यादि करने हेतु समाजसेवी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, बेघर व्यक्ति समूह, विश्वविधालय एंव संस्थान सार्वजनिक एंव निजी सेक्टर कम्पनीज और संगठन पंजीकृत ULB/अन्य राजकीय संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे जाते है। इच्छुक संस्थाऐं संचालन प्रस्ताव एवं शर्तो की जानकारी नगर निगम कोटा से प्राप्त कर सकते है । धरोहर राशि रूपयें 12000/– एवं इच्छा अभिरूचि शुल्क 500/– के साथ दिनांक 13/07/26... को सांय 5 बजे तक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते है। डी.डी./ पे–ऑर्डर आयुक्त नगर निगम कोटा के नाम देय होगा।

शर्तें:–

1. निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर निगम कोटा में निहित होगा।
2. संवेदक संस्थाओं को अपना ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. पंजीयन कोड देना अनिवार्य होगा।
3. सशर्त निविदाऐं मान्य नही होगी ।
4. अन्य जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय कमरा नं. 405 से प्राप्त की जा सकती है।
5. उक्त निविदा वेबसाईट https//sppp.raj.gov.in ,www.kotamc.org, https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
6. कार्मिको को भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा तथा संवेदक द्वारा भुगतान के साक्षय प्रस्तुत किये जाने वाले बिलो के साथ संलग्न करने होगें
7. कार्मिको के मानदेय में से ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. खाते में जमा के साक्ष्य संवेदक को बिल के साथ प्रस्तुत करने होगे।
8. न्यूनतम मजदूरी दरों से कम को स्वीकार नही कि जायेगी।

NIB NO :- DLB2627A3596

UBN NO 1. DLB2627WSRC08868
2. DLB2627WSRC08870
3. DLB2627WSRC08873
4. DLB2627WSRC08874
5. DLB2627WSRC08875

आयुक्त
नगर निगम कोटा

क्रमांक : ननिको/डे–एनयूएलएम/2026/97-105 दिनांक : 25/06/26

प्रतिलिपि:–

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगर निगम कोटा।
2. श्रीमान् अति आयुक्त महोदय नगर निगम कोटा।
3. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी नगर निगम कोटा।
4. उपायुक्त नगर निगम कोटा।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष, नगर निगम कोटा को वास्ते राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु ।
6. प्रभारी NULM नगर निगम कोटा ।
7. जिला प्रबन्धक NULM नगर निगम कोटा ।
8. ओसवाल डाटा/आई टी शाखा नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को प्रत्येक आश्रय स्थल को अलग – अलग अपलोड करावें।
9. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम कोटा

राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी NULM

दयावती सैनी उपायुक्त

धीरज कुमार साहू मुख्य लेखाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

इच्छा अभिरूचि प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

DLM के तहत कोटा में आश्रय स्थलों के संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप –
नगर निगम कोटा द्वारा जो स्थायी आश्रय स्थल संचालित किये जा रहे है। जिसकी सुची निम्नानुसार है–

क्र.सं.	स्थान का नाम	विवरण
1	नयापुरा बस स्टेण्ड आश्रय स्थल	स्थायी
2	एम.बी.एस. हॉस्पिटल परिसर आश्रय स्थल	स्थायी
3	सेक्टर नं0 2 भीमगंजमण्डी आश्रय स्थल	स्थायी
4	महिला जे.के.लोन परिसर स्थित आश्रय स्थल	स्थायी
5	कैथून मैन रोड़ आश्रय स्थल	स्थायी

क्र. सं.	विवरण	
1	नाम समाज सेवी संस्था/सरकारी संगठन/पंजीकृत संस्था/गैर सरकारी संस्था का विवरण (i) संस्था/संगठन का नाम व रजिस्टर्ड कार्यालय का पूर्ण पता (ii) संस्था के मुखिया का नाम, पता, ई–मेल व मोबाईल न. (iii) ईओआई हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता, ई–मेल व मोबाईल न.	
2	डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण (प्रत्येक आश्रय स्थल के लिए अलग – अलग आवेदन करना आवश्यक है।) (i) इच्छा अभिरूचि शुल्क (ii) डिमाण्ड ड्राफ्ट न. दिनांक राशि (iii) धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट न. दिनांक राशि	
3	नाम समाज सेवी संस्था/सरकारी संगठन/पंजीकृत संस्था/गैर सरकारी संस्था के पंजीयन का विवरण	
4	(अ) ई. पी. एफ. पंजीयन प्रमाण पत्र (ब) ई. एस. आई. पंजीयन प्रमाण पत्र	
5.	स्वयं सेवी संस्था का टर्नओंवर (तीन वर्षो का)	6.00 लाख रूपये से अधिक का होना आवश्यक हैं।
6	आश्रय स्थल के संचालन हेतु प्रस्ताव 1) प्रबन्धक (एक) (कुशल श्रमिक) (वेतन श्रम विभाग अनुसार) (मय ESI+PF)	सर्विस चार्ज ..... प्रतिदिन मजदूरी दर (निःशुल्क लागू नहीं होगी)

दयावती सैनी
उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

पीएम (प्रमाण लेखा अधिकारी)

	केम्पर सिवर (तीन) (प्रतिदिन प्रत्येक पारी हेतु एक) (अर्धकुशल श्रमिक) वेतन श्रम विभाग अनुसार (मय ESI+PF)	रू ..... प्रतिदिन मजदूरी दर (नि:शुल्क मान्य नही होगी)
	3) सफाई कर्मचारी (एक) (अकुशल श्रमिक) वेतन श्रम विभाग अनुसार (मय ESI+PF) प्रातः 7 बजे से 11 बजे व दोपहर 2 बजे से सांय 6 बजे तक	रू ..... प्रतिदिन मजदूरी दर (नि:शुल्क मान्य **नही होगी)**
	4) नल	बिल अनुसार न.नि.को. द्वारा देय।
	5) विद्युत (बिजली)	बिल अनुसार न.नि.को. द्वारा देय।
	6) बिस्तर प्रबन्धन (धुलाई कार्य) एक माह में चार बार	प्रति नग – हर कॉलम में दर अंकित करना अनिवार्य
	(A)रजाई मय कवर	
	(B) गद्दे मय कवर	
	(C)चद्दर (बेड शीट)	
	(D)तकिये मय कवर	
	कुल दर प्रति सेट	
	7) पीने का पानी (4 केम्पर प्रतिदिन) प्रति केम्पर दर आवश्यकता अनुसार बडायी या घटायी जा सकती हैं।	
	8) स्टेशनरी (परिसम्पति रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, एक वर्ष की उपस्थिति रजिस्टर, मिटिंग रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर, शेल्टर प्रबन्धन गति विधि रजिस्टर, एवं सुझाव कुल राशि (शिकायत) रजिस्टर	**एक वर्ष की** **कुल राशि**

नोटः— उक्त सभी दस्तावेजों की प्रति स्वप्रमाणित होनी चाहिए एवं मूल शपथ पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

इच्छा अभिव्यक्ति (EoI) प्रस्तुत करने वाले
अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि
हस्ताक्षर .....
नाम .....
पद .....
दिनांक .....
मो. न. .....
ई–मेल .....

राजन ठाकुर
कनिष्ठ सहायक
नगर निगम कोटा

प्रभारी NULM
Nagar Nigam, KOTA

दयावती सैनी
उपायुक्त
नगर निगम, कोटा

Scanned with OKEN Scanner

स्थलों के संचालन हेतु शर्तें :–

1. कार्यो के निष्पादन हेतु दर अनुबन्ध अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 2 वर्ष के लिये मान्य होगा। कार्य आदेश एक बार मे एक वर्ष की अवधि के लिये दिया जायेगा, कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर आगामी एक वर्ष की अवधि तक और दिया जा सकेगा।
2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की गाईड लाईन के अनुसार शैल्टर / आश्रय स्थल का संचालन करना अनिवार्य होगा।
3. आश्रय स्थल (शैल्टर) चयनित / चिन्हित आवासहीनों के लिए 24 घण्टे 7 दिन उपलब्ध रहेगा ।
4. आश्रय स्थल (शैल्टर) महिला / पुरुष / वृद्धजन / निशक्तजन परिवारों के लिए अलग–अलग हिस्सों में संचालित किया जाएगा।
5. संचालनकर्ता संस्था द्वारा प्रतिदिन आश्रय स्थल / शौचालय / मूत्रालय की समय–समय सफाई व कीटनाशक पदार्थो से धुलाई की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।
6. संचालनकर्ता संस्था द्वारा क्षमता के दस प्रतिशत लोगो जैसे वृद्ध / अशक्त / निशक्तजन व बच्चो को भोजन पौष्टिक, शुद्ध व ताजा खाना निशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा अन्य को अनुदानित दर पर कराया जायेगा ।
7. संचालन संस्था द्वारा आश्रय स्थल प्रकाश पर की व्यवस्था हेतु समुचित उपकरण / कूलर / पंखा आदि की व्यवस्था समय–समय पर करनी होगी।
8. संचालनकर्ता संस्था द्वारा प्रत्येक शैल्टर हेतु एक पूर्ण कालिक प्रबंधक व प्रत्येक आठ घण्टे के लिए एक केयरगिवर (कुल 3 केयर गियर) स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी ।
9. संचालनकर्ता संस्था द्वारा प्रत्येक शैल्टर पर शैल्टर परिसंपति रजिस्टर, प्रतिदिन आय–व्यय के लिए लेखा रजिस्टर, शैल्टर में ठहरने वाले व्यक्तियो के का विवरण रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर, स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर, शैल्टर मैनेजमेन्ट कमेटी मीटिंग रजिस्टर, स्टाफ का रजिस्टर शैल्टर के प्रबंधन / व्यवस्था की गतिविधियों का रजिस्टर व शिकायत व सुझाव रजिस्टर की उपलब्धता शैल्टर पर सुनिश्चित करनी होगी।
10. संचालनकर्ता संस्था को निर्धारित अवधि में स्थानीय पार्षद, नगर निकाय के प्रतिनिधी (क.लि. स्तर से कम नही) शैल्टर के केयर टेकर, शैल्टर के दो प्रतिनिधी (महिला की उपलब्धता पर न्यूनतम एक महिला) को शामिल करते हुए शैल्टर की निगरानी हेतु प्रबंधन समिति का गठन करना होगा और इस समिति की माह में न्यूनतम दो बैठक आवश्यक होगी। जिसकी मिनट्स जारी की जाकर प्रभारी NULM को भिजवानी होगी एवं संचालन के संबंध में मासिक प्रगति रिर्पोट की प्रभारी NULM को भिजवानी होगी।
11. संचालनकर्ता संस्थाओं को समय समय पर आश्रय स्थलों पर मोसमी मच्छरों / कीटों से बचाव के लिए कीटनाशको का छिड़काव करवाना होगा तथा प्रतिदिन मच्छरों से बचाव के लिए उपयुक्त उपकरणों / रसायनों का उपयोग करना होगा।
12. संचालनकर्ता संस्थाए आश्रय स्थल के निवासियों को पहचान प्रमाण पत्र (जैसे मतदाता फोटो पहचान कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड आदि) जारी करवाने व बैंक खाता खुलवाने तथा सरकारी विभागों से सम्पर्क कर वृद्धावस्था / विधवा अथवा निशक्त जनों को उचित पेंशन दिलवाने में सहयोग करेंगी।
13. आश्रय स्थल संचालनकर्ता संस्था द्वारा आश्रय स्थल में रहने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करवाने का कार्य व बिमार व्यक्तियों का सार्वजनिक अस्पतालों के माध्यम से इलाज करवाये जाने में मार्गदर्शन व सहयोग करेगीं।
14. आश्रय स्थल संचालनकर्ता संस्था आश्रय स्थल में रहने वाले लोगों को फ्री कानूनी सुविधा दिलाई जाने में और बेघरों को राजीव आवास योजना से जोडने में मदद करेंगी।
15. आश्रय स्थलों पर निवासरत व्यक्ति यदि संदिग्ध पाया जाता है तो संचालनकर्ता उसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन पर करें व प्रभारी NULM को अवगत करायेगा।
16. संचालन कार्य संतोषप्रद होने पर अवधि बढाई जा सकती हैं।
17. संचालनकर्ता द्वारा कोई भी अनियमितता अथवा असंतोषप्रद कार्य पाए जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
18. आश्रय स्थल पर आने वाले व्यक्तियों से किसी प्रकार का शुल्क वसूल न किया जाए। पालना नहीं होना पाया जाने पर 1000 /– रू की राशि आरोपित होगी।
19. प्रत्येक आश्रय स्थल पर उपलब्ध सामान (गद्दे, कमबल, टी.वी. आदि) की सूची प्रस्तुत कर एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
20. राज्य सरकार के निर्देशानुसार गैर सरकारी संगठन (NGOs)/संस्था को दो या तीन से अधिक आश्रय स्थलों का संचालन का कार्य नही दिया जावें ।
21. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा जारी परियोजना के दिशा निर्देशानुसार संचालन कार्य सुनिश्चित करें।
22. संस्थाओं की समान दरे प्राप्त होने पर गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) को प्राथमिकता दी जावेगी, एक से

राजन ठाकुर
कृत्रिम सहायक
प्रभारी NULM
Nagar Nigam, KOTA

दयावती सैनी
उपायुक्त
नगर निगम कोटा

Scanned with OKEN Scanner